

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938
No. 814]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/ CHAITRA 15 , 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

का.आ. 1304(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
154	147	गुजरात राज्य में सरखेज के निकट रारा सं. 47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		गांधीनगर को जोड़ने वाला और चिलोधा के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर
		समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/30/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 696(अ) तारीख 10 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2016

S.O. 1304(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
154	147	The highway starting from its junction with NH No. 47 near Sarkhej connecting Gandhi nagar and terminating at its junction with NH-48 near Chilloda in the State of Gujarat.

TABLE

[F. No. NH-14012/30/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 696(E), dated 10th March, 2015